

न्यायालय सहायक कलक्टर जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 28/2021

दायर दिनांक :- 25.03.2021

अनवान

अर्जुन कुमार पिता कन्हैयालाल नायक नि. ढीकोली तह. कनवास

वादी.....

बनाम

1. शंकर पिता भूरा खटीक नि. रोपां तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री सुनिल कुमार पत्रिया, वकील वादी


:: निर्णय ::

दिनांक 11.01.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई है कि ग्राम केसरपुरा प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 9, 10/1, 22, 23/1 कुल कित्ता 04 रकबा 07.08 बीघा में वादी व प्रतिवादी के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 03.01.2022 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादी भी सहमत है। जिससे मेरी विनम्र राय में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-



सहायक कलक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)

ग्राम केसरपुरा प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	अर्जुन कुमार पुत्र कन्हैयालाल नायक नि. ढीकोली	9 में से	0-4644	गे. मु. पाली, कु. III	
		10/1 में से	0-0756	बीड I	
		22	0-3348	बीड, हकत II	
		23/1	0-6480	हकत I, गे. मु. रेछा	
		कुल कित्ता 4	1-5228		
2.	शंकर पुत्र भूरा खटीक नि. रोपां	9 में से	0-0432	कु. III	
		10/1 में से	0-0324	बीड I	
		कुल कित्ता 2	0-0756		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (दामोदर सिंह)
 सहायक कलक्टर,
 उपखण्ड अधिकारी,
 जहाजपुर (भीलवाडा)
 जहाजपुर (भीलवाडा)

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रुल्स 6-7 जाब्ला दीवानी)

अज अदालत - सहायक कलक्टर मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

अर्जुन कुमार पिता कन्हैयालाल नायक नि. डीकोली तह. कनवास

वादी.....

बनाम

1. शंकर पिता भूरा खटीक नि. रोपां तह. जहाजपुर
2. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत - 53, 88, 89 आर. टी. ए.

प्रकरण संख्या :- 28/2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री सुनिल कुमार पत्रिया का मिनजानिव मुदई व श्री .. का मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .


अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्ली निम्नानुसार जारी की जाती है कि :-
ग्राम केसरपुरा प. ह. आमल्दा तहसील जहाजपुर

क.सं	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	किरम	लगान
1	अर्जुन कुमार पुत्र कन्हैयालाल नायक नि. डीकोली	9 में से	0-4644	गे. मु. पाती, कु. III	
		10/1 में से	0-0756	बीड I	
		22	0-3348	बीड, हकत II	
		23/1	0-6480	हकत I, गे. मु रेख्छा	
		कुल किता 4	1-5228		
2.	शंकर पुत्र भूरा खटीक नि. रोपां	9 में से	0-0432	कु. III	
		10/1 में से	0-0324	बीड I	
		कुल किता 2	0-0756		

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.01.2022

मुहर


(दामोदर सिंह)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)